

प्रेषण,

मी अशोक गांगुली,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा ५,

हेहि॒
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र २ लम्बाय केन्द्र
द्वीप विभार, नई दिल्ली।

सिधा १७। अनुभाग

तिथि: दिनांक: २६ नवम्बर, 1993

विषय:- श्री, गुरुराम राय पवित्र, स्कूल पटेलनगर, देहरादून को ती०ष्ठ०स्त०८०८० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रश्नबद्धों के अधीन ज्ञापन दिया जाएगा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर कुछ पढ़ करने का निक्षेप हुआ है कि श्री गुरुराम राय पवित्र, स्कूल पटेलनगर, देहरादून को ती०ष्ठ०स्त०८०८० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रश्नबद्धों के अधीन ज्ञापन दिया जाएगा।

- 1- विद्यालय की पैरिवृत्त लोकांश्ची का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रवर्द्धन समिति में सिधा निक्षेपक द्वारा नामित रह सकता होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम दो उपस्थित स्थान अनुशूलित जाति/अनुशूलित जनजाति के बच्चों के लिए तुरहित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षारा संघाजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए नियमीरित गुरुक ते उपिक गुरुक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/डीसिन फार फ ईडिप्पन स्कूल लीफिट इव्वा मिलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद्दों से सम्बद्धता प्राप्त होने की जिम्मी ते परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- 5- संस्था ईचिक स्व शिक्षातार अधिकारियों को राज्यीय संस्थान प्राप्त विधिक संस्थानों के अनुबन्ध ऐसमानी तथा अन्य भौतिकों से कम ऐसमान तथा अन्य भौतिकों नहीं किये जायेंगे।

- 6- कर्मियारियों की तेवा शर्तों का यही जायेगा और उन्हें तहापता प्राप्त अग्रसंकीय उपचार माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियारियों की अनुमत्य तेवा निष्पत्ति का ताम उपलब्ध हराये जायेगे।
- 7- राज्य तरफार द्वारा तम्भ तक पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तेस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/विकल्पों पर रखा जायेगा।
- 9- उपर शर्तों में राज्य तरफार के पूर्वानुमोदन के लिए कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित प्रदान किये जाने के पूर्व इनपा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय के कर्मियारियों के लिए नामू की नई तेवा नियमावली मानडानुस्य है।
- 3- उपर प्रतिवन्धों का पालन करना तेस्था के लिए अनिवार्य होगा और यहि लिये तम्भ पहल पाया जाता है कि तेस्था द्वारा उसका प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जाता है तथा पालन करने में लिये प्रबार की दृष्टि या शिक्षिका वरती जा रही है तो राज्य तरफार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभाग पर वापस ले लिया जायेगा।

अधीक्ष,


अधीक्ष गोप्ता।
उप तथिया।

पुस्तक 532411/15-7-1993 त्रिविक्षक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को दृष्टवार्थ स्वे जापायक लायेगा की देहु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निकेतन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुद्रालीप उप शिक्षा निकेतन गढ़पाल मण्डल, पटिहारी।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीधर, देवराजून।
- 4- निरीधर, गोप्ता भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, श्री गुरुराम पञ्चिक सून एटेलरगर, देवराजून।

आकाश ते,


अधीक्ष गोप्ता।
उप तथिया।